ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

रेसीडेन्सी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

मिल्क पॉर्लर निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा प्रपत्र (द्वितीय)

ई–निविदा क्रमांक / ग्वा.स.दु.स / क्रय / 2023 दिनांक..................

ई–निविदा खुलने का दिनांक

दोपहर–04:00 बजे

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

रेसीडेन्सी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

फोन नं. 0751–2365523 / 2368107

निविदा प्रपत्र का मूल्य–Rs. 500/- (पॉच सो रूपये)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

GWALIOR SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
रेसीडेन्सी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)
फोन नं. 0751–2365523 / 2368107
e-mail: gwaliordairy@gmail.com

ई–निविदा क्रमांक / ग्वासदुसं / 2023 दिनांक : / / 2023

निविदा–प्रपत्र (द्वितीय)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर कार्यक्षेत्र के चिन्हित शहरो / स्थानों पर पार्लर स्थापित किये जाना है।

1.	(अ) निविदा–प्रपत्र का विक्रय मूल्य (ब) अमानत राशि 30000 / –	रू 500/-(पॉच सो रूपये) रू 30000/- (तीस हजार रूपये मात्र)
2.	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र बिक्री प्रारंभ तिथि	दिनांक 27.07.2023 सुबह 11:30 बजे से
3.	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.08.2023 दोपहर 03:00 बजे तक
4.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.08.2023 दोपहर 3:00 बजे तक
5.	निविदा प्रप. / तकनीकी प्रपत्र खुलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 03.08.2023 दोपहर 4:00 बजे तक
6.	निविदा खुलने का स्थान	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित रेसीडेन्सी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर
7.	अनिवार्य दस्तावेज	1) फर्म का स्थानीय निकायों में की गई पंजीयन प्रमाण–पत्र 2) संस्था / अथवा प्रोपाइटर का पेन नंम्बर 3) GST नंबर की छायाप्रति। 4) अनुभव प्रमाण–पत्र
8.	संलग्न पत्रः	परिशिष्ट–01 तकनीकी अहर्ताएं परिशिष्ट–02 सामान्य नियम / शर्त परिशिष्ट–03 पार्लर तकनीकी मानक विवरण परिशिष्ट–04 दर बीड

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे किः—

- ❖ धरोहर राशि (EMD) ऑनलाईन जमा कर रसीद की छायाप्रति ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर कार्यालय गोला का मंदिर में निर्धारित दिनांक एवं समय से पूर्व जमा करावें, जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।

- ❖ ऑनलाईन जमा की गई धरोहर राशि ही मान्य की जावेगी, चेक/नगद/डी.डी के माध्यम से जमा की धरोहर राशि मान्य नहीं होगी।

- ❖ निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि हेतु किसी भी MSME/SSI संस्था (केवल मध्यप्रदेश इकाईयों को) Exemption मान्य किया जावेगा। प्रदेश के बाहर की MSME/SSI संस्था को Exemption मान्य नहीं किया जावेगा।

- ❖ निविदा स्वीकृत होने उपरान्त सात दिवस के अंदर सिक्यूरिटी राशि रूपये 30000/— नगद/डी.डी के माध्यम से कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा आपकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी। जिसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी।

- ❖ परिशिष्ट—01 ''तकनीकी अहर्ताएं'' परिशिष्ट—02 ''निविदा के सामान्य नियम एवं शर्त'' परिशिष्ट—03 ''पार्लर निर्माण हेतु तकनीकी मानक विवरण'' (एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर ''B'' —परिशिष्ट—01,02,03 लिखा जावें।)

- ❖ परिशिष्ट— 01, 02, 03 व 04 को भरकर एवं ई.एम.डी. राशि स्केन कर उसे www.mptenders.gov.in पर अपलोड किया जावें।

- ❖ निविदा पत्र की परिशिष्ट— 01, 02, 03 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगीं।

- ❖ परिशिष्ट—04 जिसमें ''दरें'' उल्लेखित होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरें'' को निरस्त समझा जावेंगा।

- ❖ किसी भी निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत को करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

टिप्पणीः—निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

GWALIOR SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

रेसीडेन्सी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

फोन नं. 0751–2365523ए 2368107

e-mail: gwaliordairy@gmail.com

तकनीकी अहर्तायें

क्र.	आवश्यक अहर्ता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज।
1.	निविदाकार का नाम पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		स्थानीय निकाय में की गई फर्म की पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।		GST नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें। राज्य के बाहर के निविदाकार GST क्रमांक की छायाप्रति भी प्रस्तुत करें।
6.	दूरभाष/मोबाइल नम्बर (1) फेक्ट्री का (1) कार्यालय का		
7.	अनुभव प्रमाण–पत्र		फेब्रीकेशन कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले अथवा किसी भी अर्द्ध सरकारी/सरकारी संस्था को समान प्रकार के सामग्री प्रदाय की गयी हो अनिवार्य होगा

नोटः–

1. उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. तकनीकी अहर्ताओं सम्बन्धी परिशिष्ट क्रमांक–01 तकनीकी अहर्ताऐं, परिशिष्ट क्रमांक–02 निविदा की सामान्य नियम एवं शर्ते, परिशिष्ट क्रमांक–03 पॉर्लर तकनीकी मानक विवरण के सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर करके एक लिफाफे में एवं निविदा **दर सम्बन्धी परिशिष्ट–04 केवल ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी।** तकनीकी अर्हताऍं पूर्ण करने वाले निविदाकारों की ही निविदा दरें खोली जावेगी।
3. उपरोक्त जानकारी में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

निविदाकार हस्ताक्षर––––––––––––––––
नाम––––––––––––––––––––––––––
पता––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
दूरभाष नम्बर–––––––––––––––––––––
मोबाइल नम्बर–––––––––––––––––––––

परिशिष्ट–''02''

(क) <u>अनिवार्य दस्तावेज</u>

1. प्रत्येक निविदाकार द्वारा स्थानीय निकायों में की गई फर्म को पंजीयन कराने के प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि।
2. संस्था अथवा प्रोप्राईटर के पेन (आयकर) नंबर और GST की प्रतिलिपि।

(ख) **सुरक्षा निधि** कार्यादेश जारी करने से पहले सुरक्षा राशि रूपये 30,000/- का डिमांड ड्राफ्ट, ''<u>ग्वालियर सहकारी दुग्ध संध मर्यादित</u> के पक्ष में देय Payable at Gwalior जमा करना होगा। ऑनलाईन जमा अमानत राशि (EMD) मूलतः वापस हो जावेगी।

3. संस्था (फर्म) एवं संस्था के मालिक का नाम, पता एवं दूरभाष नंबर।
4. अनिवार्य दस्तावेज– प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में डिफाल्टर/ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र जो निविदा खोले जाने के पूर्व कार्यालय में मूलतः जमा करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।
5. फेब्रिकेशन कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले अथवा किसी भी सरकारी संस्था को समान प्रकार के सामग्री प्रदायकर्ता को प्राथमिकता दी जा सकती है, परन्तु यह अनिवार्य होगा।

विलंब अवधि जुर्माना राशि

पॉर्लर निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश दिये जाने के उपरांत निर्धारित समय सीमा में कार्य आदेशानुसार पूर्ण संख्या में पॉर्लर निर्माण कर स्थापित नहीं किये जाने पर निम्नानुसार जुर्माना वसूला जायेगा।

1) प्रदायक/निविदाकर्ता द्वारा वस्तु का प्रदाय निर्धारित तिथि पर हो इस बात का कडाई से पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते है अथवा आदेश के क्रियान्वयन में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेश को निरस्त करने एवं प्रदायक की जोखिम एवं व्यय पर अन्य साधनों से क्रय की कार्यवाही पूर्ण करने का दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ को अधिकार होगा। नियत तिथि पर आपूर्ति न होने की दशा में क्षतिपूर्ति निम्नानुसार देय होगीः–

क्रमांक	**विलंब की तिथि**	**क्षतिपूर्ति राशि**
1	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

2) निर्धारित मात्रा में पॉर्लर निर्माण 10 दिवस में पूर्ण कर बनाये गये स्थान पर स्थापित नहीं किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ के द्वारा किसी अन्य फेब्रिकेटर से पॉर्लर निर्माण कराये जाने की स्थिति में कार्य आदेश में अंकित दर से अधिक व्यय होने पर अधिक व्यय होने वाली राशिएवं कुल लागत राशि के पॉच प्रतिशत जुर्माना राशि सहित जमा की गई अमानत राशि से कटौत्रा किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

3) यदि सफल निविदाकार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करता है तो न्यनतम दर प्रेषितकर्ता के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर समान दर पर अन्य किसी फेब्रिकेटर से पॉर्लर निर्माण कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., ग्वालियर को होगा।

(ग) भुगतान

देयक का भुगतान पार्लर निर्माण किये जाने उपरान्त 80 प्रतिशत भुगतान शेष 20 प्रतिशत संघ द्वारा गठित समिति पार्लर का निर्माण निरीक्षण उपरांत किया जावेगा।

अन्य शर्ते

1. यदि संचालन अवधि के दौरान पॉर्लर स्ट्रक्चर को किसी प्रकार की क्षति होगाी, तो उसे संचालनकर्ता की जमा अमानत राशि से वसूल किया जावेगा, इसकी वसूली निर्माणकर्ता निविदाकर्ता निविदाकार से नहीं होगी। परन्तु इसके सत्यापनार्थ दुग्ध संघ की अधिकृत समिति का सत्यापन अंतिम माना जायेगा।
2. किसी भी विवाद की दशा में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर का मान्य होगा, परन्तु मध्यस्थता हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अधिकृत होगें।
3. परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 में वर्णित शर्तो का रूपये 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
4. किसी भी विवाद की दशा में, विवाद का निराकरण ग्वालियर न्यायालय रहेगा।

मेरे द्वारा परिशिष्ट 1, 2 व 3 में वर्णित निविदा की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूॅ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेंरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है। या मैं परिशिष्ट 1, 2, व 3 में वर्णित शर्तो का पालन नहीं करता हूॅ व मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूॅ।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पता

परिशिष्ट ''3''

(पॉर्लर निर्माण हेतु तकनीकी मानक विवरण)

मिल्क पॉर्लर/बूथ

1. पॉर्लर डिपो पूर्णतः फोल्डेबल होना चाहिए।
2. पॉर्लर डिपो की लम्बाई–6 फीट, चौड़ाई–8 फीट, ऊंचाई–9 फीट होनी चाहिए एवं बूथ की की लम्बाई–6 फीट, चौड़ाई–6 फीट, ऊंचाई–8 फीट होनी चाहिए
3. पॉर्लर डिपो की मुख्य फ्रेम (50mm x 50mm x 5mm) एम.एस. एंगल से निर्मित हो, तथा चारों ओर 18 गेज मोटाई वाली एम.एस. शीट से कव्हर्ड हो। दरवाजे एवं खिड़की बनाने हेतु (25mm x 25mm x 3mm) के एंगल होना चाहिये। आंतरिक ढांचा (35mm x 35mm x 3mm) एंगल के हो।
4. पॉर्लर डिपो के दाहिनी तरफ 3''X6'' फीट का एक दरवाजा तथा सामने की ओर तीन फीट ऊंचाई पर 8 फीट की खिड़की हो, तथा अन्दर की तरफ 8 फीट लम्बा और 8 इंच चौड़ाई का एक काउन्टर बना हो। उक्त खिड़की बाहर की ओर खुलने वाली हो, तथा उसमें 10 इंच सरिये के लॉक की व्यवस्था की जाना होगी। (नमूने का चित्र संलग्न है।) बाहर की ओर के काउंटर का नाप 1½ फीट X 8 फीट होगा।

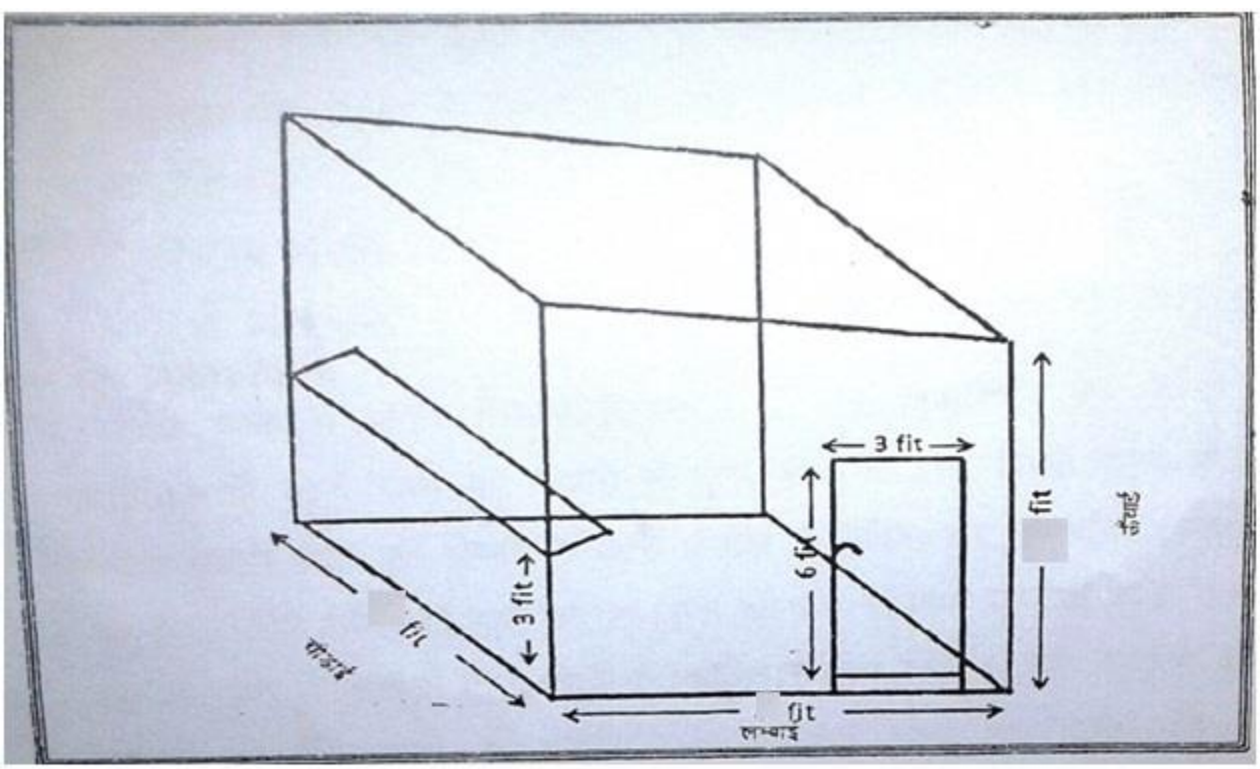

5. पॉर्लर डिपो की छत पर कोरूगेटेड टीन 0.50mm मोटाई की (ISI मार्क वाली) शीट लगाई जाकर उसका (ढलान) स्लोप पीछे की तरफ रखा जाये, जिसका ढाल 6 इंच रखा जाये।
6. पॉर्लर डिपो के फेब्रिकेशन के उपरांत उस पर दो कोट रेड आक्साईड तथा संघ द्वारा निर्धारित रंग का सिन्थेटिक एनेमल दो कोट जो एशियन पेन्ट का हो, किया जाना होगा।
7. संपूर्ण ढांचा प्राइमर के दो अस्तरों से पेंट किया जाएगा। बाहरी सी.आर.सी. शीट को प्रथमतः प्रायमर के दो अस्तरों से पेंट किया जाएगा। पॉर्लर की भीतरी शीट प्रायमर के दो अस्तरों से पेंट की जाएगी। जिसे फिर आई.एस.आई. मार्क कम्पनी का सफेद सिंथटिक पेंट से 4 फीट ऊपर एक (25mm x 25mm x 5mm) के लोहे एंगल पर 9mmमोटाई की प्लाई लगाकर शेल्फ बनायी जानी चाहिए।
8. ऑर्ट वर्क और लेखन कार्य दिए गए नमूने अनुसार सिंथेटिक ऑइल पेंट से लिखा जाना होगा। ऑटवर्क ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा निर्धारित डिजाइन अनुसार किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित